

सिचाई विभाग,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध कराया जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

सेवा में,  
श्रीमान् खनन अधिकारी,  
कानपुर

बृहोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम् यूज गुप्त हाउसिंग के लिए घरिसर नम्बर 7/98 एवम् 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खूलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में गवशा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेंट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी



(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001  
मो 0-9839030535



सेवा में,  
श्रीमान् खनन अधिकारी,  
कानपुर


महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेन्ट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

संलग्नक:- उपसोक्तानुसार

  
(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001  
मो0-9839030535

कानपुर


महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यून ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेन्ट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी



(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,

60/52, नयागंज, कानपुर-208001

मो0-9839030535

कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में वेसमेंट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

  
(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,

60/52, नयागंज, कानपुर-208001

मो०-9839030535



सेवा में,  
श्रीमान् खनन अधिकारी,  
कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा गेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हालसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेन्ट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी



(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001  
मो०-9839030535



महेश चन्द्र

Manager, Hindustan

जर्म लिमिटेड

पूरुष, महेश



4551 8769 0006

आम आदमी का अधिकार

Union Education Authority of India

S/O. अनारजी दास चौ. बंगला  
टोल रोड, कानपुर, कानपुर, कानपुर  
नगर, उत्तर प्रदेश, 208001

Address:

S/O. अनारजी दास चौ. बंगला  
टोल रोड, कानपुर, कानपुर, कानपुर  
नगर, उत्तर प्रदेश, 208001

4551 8769 0006


2801 300 1047

www.unioneducation.org

Union Education Authority of India

www.unioneducation.org






महेश चन्द्र जैन,  
में० प्लूमिंग रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001।

विषय- खनन विभाग से एनओसी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 05.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यूज ग्रुप हाउसिंग के लिये परिसर नम्बर 7/98 एवं 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में बेसमेंट बनाये जाने हेतु खनन विभाग, कानपुर नगर से एनओसी प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कथना है कि उओप्रओ उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-53 के अन्तर्गत खनन विभाग द्वारा भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राप्त उपखनिज के निस्तारण हेतु विभाग के पोर्टल [upmineminfo.in](http://upmineminfo.in) पर आवश्यक अभिलेखों सहित आनलाईन आवेदन करने एवं स्थलीय तथा अभिलेखीय ऑचोपरान्त सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। बेसमेंट निर्माण हेतु नियमावली में एनओसी प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।



प्रतिलिपि- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनाथ।  
2- अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय को सादर सूचनाथ।

खान अधिकारी,  
कानपुर नगर।

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र


आपके द्वारा प्रेषित परिसर संख्या-7/98 व 7/99 स्टैंडिंग फी-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, खलासी लाइन, कानपुर नगर पर प्रस्तुत भवन के मानचित्र के विरुद्ध विकास शुल्क जल, सीवर एवं न्यूनतम सीवर प्रभार के भद में देखक धनराशि रुपये-28,03,805.00 के कम में मैसर्स पलोमा रियलटी एलएलपी द्वारा रसीद संख्या-4899/89 दिनांक-16.02.2023 द्वारा मात्र धनराशि रुपये-4,93,819.00 जमा किया गया है। जिसके फलस्वरूप निम्न शर्तों के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति निर्गत की जाती है।

1. उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् शेष देयक धनराशि रुपये-23,10,186.00 का भुगतान जल संयोजन लेने से पूर्व जलकल विभाग को करना होगा। जिसके उपरान्त स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र देय होगा।
2. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण में यदि जलकल विभाग के जल का प्रयोग पाया गया तो उक्त धनराशि के अतिरिक्त निर्माण भल मूल्य देय होगा तथा तदनुसार न्यूनतम सीवर प्रभार भी देय होगा।
3. जल एवं सीवर संयोजन लिये जाते समय उक्त धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार धनराशि जमा करनी होगी एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी।
4. कर निर्धारण के अनुरूप करों का भुगतान देय होगा।
5. उक्त भूखण्डों की पेयजल एवं सीवेज की आन्तरिक व्यवस्था सम्बन्धित को स्वयं करानी होगी।
6. आपके परिसर से गुजरने वाली वाटर एवं सीवर लाइनों के दोनों तरफ कम से कम 5-6 मीटर तक किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
7. भविष्य में उक्त भूखण्ड में प्लॉट पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त यदि वृद्धि होती है तो बड़े हुये भाग के विरुद्ध नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देय होगा। निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8. विभागीय जल/सीवर संयोजन स्थल (मेन) तक समस्त पाइप लाइन का कार्य स्वयं करना होगा एवं संयोजन की कार्यवाही विभागीय पंजीकृत प्लम्बर के माध्यम से पूर्ण करनी होगी।
9. निर्माण कार्य के दस्यन निर्माणाकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी नरपायी निर्माणाकर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

अधिरासी अभियन्ता,  
जोन-4

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
3. नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. मैसर्स पलोमा रियलटी एलएलपी, 7/98 व 7/99, खलासी लाइन, कानपुर।

  
अधिरासी अभियन्ता,  
जोन-4

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र

आपके द्वारा प्रेषित परिसर संख्या-7/98 व 7/99 स्टैंडिंग प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, खलासी लाइन, कानपुर नगर पर प्रस्तुत भवन के भानचित्र के विरुद्ध विकास शुल्क जल, सीवर एवं न्यूनतम सीवर प्रभार के मद में देयक धनराशि रुपये-28,03,805.00 के कम में मैसर्स पलोमा रिवलटी एलएलपी द्वारा रसीद संख्या-4899/69 दिनांक-16.02.2023 द्वारा मात्र धनराशि रुपये-4,93,619.00 जमा किया गया है। जिसके फलस्वरूप निम्न शर्तों के साथ भानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति निर्गत की जाती है।

1. उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् शेष देयक धनराशि रुपये-23,10,186.00 का भुगतान जल संयोजन लेने से पूर्व जलकल विभाग को करना होगा। जिसके उपरान्त स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र देय होगा।
2. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण में यदि जलकल विभाग के जल का प्रयोग पाया गया तो उक्त धनराशि के अतिरिक्त निर्माण जल मूल्य देय होगा तथा तदनुसार न्यूनतम सीवर प्रभार भी देय होगा।
3. जल एवं सीवर संयोजन लिथे जाते समय उक्त धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार धनराशि जमा करनी होगी एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होगी।
4. ऊर निर्धारण के अनुरूप करों का भुगतान देय होगा।
5. उक्त भूखण्डों की पेयजल एवं सीवेज की आन्तरिक व्यवस्था सम्बन्धित को स्वयं करानी होगी।
6. आपके परिसर से गुजरने वाली वाटर एवं सीवर लाइनों के दोनों तरफ कम से कम 5-6 मीटर तक किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
7. भविष्य में उक्त भूखण्ड में प्लॉट पर स्वीकृत भानचित्र के अनुरूप निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त यदि वृद्धि होती है तो बड़े हुये भाग के विरुद्ध नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देय होगा। निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8. विभागीय जल/सीवर संयोजन स्थल (मेन) तक समस्त पाइप लाइन का कार्य स्वयं करना होगा एवं संयोजन की कार्यवाही विभागीय पंजीकृत प्लम्बर के माध्यम से पूर्ण करनी होगी।
9. निर्माण कार्य के दरम्यान निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी भरपायी निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
3. नगर निरीक्षक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. मैसर्स पलोमा रिवलटी एलएलपी, 7/98 व 7/99, खलासी लाइन, कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता,  
जोन-4

अधिशाली अभियन्ता,  
जोन-4

Telephone/Fax No.: 0522-2745904, 2328220 / e-mail: circle@lucknow.nsi@gov.in

पत्रांक: 10-3/982/2023-स्मारक - निपटारा

दिनांक: 16/02/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कानपुर नगर।

विषय: केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सिमेट्री सुबेदार का तालाब', कानपुर नगर के निकट फ़्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, तिलक नगर, खलासी लाईन कानपुर नगर' पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल के पत्र संख्या 3355/28-66(2021-22), दिनांक 23.12.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आवेदक 'मेसर्स फ़लोमा रियल्टी एलएलपी0, 60/52, नयागंज, कानपुर, उ0प्र0'208001' के द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सिमेट्री सुबेदार का तालाब (Subedar-kalalab Cemetery)', कानपुर नगर के निकट स्थित 'फ़्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, खलासी लाईन कानपुर नगर' पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के श्री राकेश कुमार, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-प्रथम द्वारा दिनांक 12.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि श्री आर.के. शर्मा, श्री निखिल कौशल एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमण्डल-कानपुर में पदस्थ श्री खगेन्द्र बहादुर शाही, एम.टी.एस. उपस्थित थे।

उक्त संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल 'फ़्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, तिलक नगर, खलासी लाईन कानपुर नगर' की केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सुबेदार का तालाब सिमेट्री (Subedar-kalalab Cemetery)', कानपुर नगर की संरक्षित सीमा से निकटतम दूरी लगभग 1810 मीटर है, जो कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र से बाहर है (Falls away from the regulated area of centrally protected monument)।

तदनुसार निरीक्षण आख्या (साइट प्लान, गूगल मैप एवं छायाचित्र की दो-दो प्रतियाँ सहित) इह संलग्न इस आशय से आपको अग्रसारित की जा रही है कि इस पर संबंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर के हस्ताक्षर उपरान्त इसे अविलम्ब सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, महात्मा गाँधी मार्ग, कैसरबाग, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

अधीक्षक पुरातत्त्वविद्



कार्यालय प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर  
प्रक्रांक 409 / 80thी प्रमाणिक कानपुर 06-08-2022

सेवा में,

प्रधान चोस्ट नास्टर,  
बेड़ा चौराहा, कानपुर

विषय:-

उत्तमन्त के राष्ट्रीय वन्यत पत्र खतता सं० 020045975993 को अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक करणे के सम्बन्ध में।

सलन्तरः प्रदीप्त वन्यत पत्र खताता सं० 020045975993 जो उत्तमन्त के खन में लिखे गये है, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश राजान द्वारा भारतीय संविधान की धारा- 299 (1) तथा नोटिफिकेशन संख्या नम्रान का बिमान उत्तर प्रदेश 215/11 एफ०डी० 71/68 दिनांक 18.01.1968 तथा नोटिफिकेशन संख्या यू०ओ०पी० 8208 जी-11 ए-11 डी(ब) नेशनल सेविंग 71/60 दिनांक 25-11-85 द्वारा परिवर्तित है के अनुसार राज्यपाल २० प्र० के पक्ष में प्रतिगुति निरूपित अथवा अवमुक्त करने के लघिकार प्राप्त है।

अतः प्रतिगुति निरूपित अथवा अवमुक्त करने के लघिकार प्राप्त है। अधोहस्ताक्षरी को अधोहस्ताक्षरी के पक्षनाम सामाजिक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर) बन्धक कर पत्रवाहक को वापस करने का निर्देश करें।

सलन्तक-वधोपरि

(असविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निर्देशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर

जिला उद्यान आधकार  
कानपुर नगर

सेवा में,

प्रमत्तीय निदेशक

सामाजिक सागिकी वन प्रभाग  
कानपुर

सूत्रांक-2762

/पा0आ0/2022-23/दिनांक-22-2-2023

विषय:-श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल निवासी-16/16, प्रतापपुर सरसाई  
सिविल लाइन्स, कानपुर नगर के 01 पेड आम देशी प्रजाति की फलदायी क्षमता के  
सम्बन्ध में।

प्रतिश्रुति

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 2799/टीसी/दिनांक 13.02.2023 द्वारा श्री अभिषेक  
अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल निवासी-16/16, प्रतापपुर सरसाई सिविल लाइन्स,  
कानपुर नगर के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित 01 पेड आम देशी प्रजाति की फलदायी क्षमता के  
आकलन प्रमाण पत्र संलग्न कर अप्रैली सेखा में सादर प्रेषित है। साष्ट हो मूल समीक्षण पर  
संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विमलजीय कुमार)

जिला उद्यान अधिकारी

कानपुर नगर

## आम वृक्ष की फलदायी क्षमता का आकलन प्रमाण पत्र

अधोहस्ताक्षरी के अधीन श्री आनन्द कुमार, उद्यान निरीक्षक की आख्या दिनांक 15.02.2023 के आधार पर श्री अमिषेक अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल निवासी-16/16, प्रतापपुर सरसई सिविल लाइन्स, कानपुर नगर में स्थित 01 पेड़ देशी आम का है, जिसकी आयु लगभग 48 वर्ष, पेड़ ठकड़ा रोग एवं गुमना रोग से ग्रसित है। आम वृक्ष की फलदायी क्षमता लगभग सभास प्रतीत होती है।

जिला उद्यान अधिकारी  
कानपुर नगर



जिला उद्यान अधिकारी

कानपुर नगर

विषय:- आम प्रजाति के वृक्ष की फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में रैपिड रिपोर्ट ।

संदर्भ:- श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल, नि०-16/16 प्रतापपुर नगर सिविल लाइन्स, कानपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक रहित ।

श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल, नि०-16/16 प्रतापपुर नगर सिविल लाइन्स, कानपुर द्वारा 01 आम के वृक्ष को काटने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित किया है । आवेदनक का प्रार्थना पत्र मूल में संलग्नकों सहित आचको प्रेषित है । शासन/देश 1030/14-5-2012-39/2005 दिनांक 08.08.2012 को कम में आम को वृक्ष की फलदायी क्षमता जाकलन प्रमाण पत्र आम द्वारा दिया जा चुका है । आम के वृक्ष को काटने के लिए आम के वृक्ष की फलदायी क्षमता जाकलन प्रमाण पत्र संलग्नकों सहित मूल में अधोहस्ताक्षरी को वकालतीद्वारा उपलब्ध कराने का किया है ।

संलग्नक- प्रार्थना पत्र संलग्नक सहित है ।

३५

(श्रद्धा सादर)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक न्याय प्रभाग  
कानपुर

पत्रांक / सगदिनांकित

प्रतिलिपि- श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल, नि०-16/16 प्रतापपुर नगर सिविल लाइन्स, कानपुर को उपरोक्त के कम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(श्रद्धा सादर)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक न्याय प्रभाग  
कानपुर

12/05/2012  
संलग्नक  
12/05/2012  
संलग्नक

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, उदयपुर  
कानपुर।

गोपनीय

आधिकारिक पत्र

मैं / हम उपरि लिखित अनुसार

निवासी ग्राम

16/16 हटापूर, साखवाड़ी, सिद्धिमानसिंह

पुत्री श्री के. लाला, उदयपुर

तहसील

जिला उदयपुर, अपने निजी कास के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ / चाहते हैं, जो न  
दिये गये विवरण के अनुसार तहसील कार्यालय, उदयपुर जिला उदयपुर में पड़ने वाली  
भूमि / वन भूमि के स्वामी/सामग्री के रूप में, रकबा 9633.46 Sq. Meter में स्थिति

क्र.सं.	वृक्ष की प्रजाति	आती की ऊँचाई पर वृक्ष के गने का व्यास (सेमी.)	वृक्ष को गिराने / हटाने का कारण
1.	2. 1.500	3. 100/100	4. आवासीय कार्यालय के लिए
1.	मरिचक पत्र	1. 1.500/100	आवासीय कार्यालय के लिए
2.	कटहल	1. 1.500/100	आवासीय कार्यालय के लिए
3.	आम पत्र	1. 1.500/100	आवासीय कार्यालय के लिए
4.	गोखी	1. 1.500/100	आवासीय कार्यालय के लिए
5.	उदयपुर	1. 1.500/100	आवासीय कार्यालय के लिए

2. मैं / हम वृक्षों को गिराने का वृत्त पर्याप्त आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व

प्रजा

सं0

के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ / देते

3. मैं / हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा / गिराऊँगे और हटाऊँगे या मैं / हम श्री के. लाला, उदयपुर

पुत्री श्री के. लाला, उदयपुर

निवासी ग्राम 16/16 हटापूर, साखवाड़ी, सिद्धिमानसिंह

उदयपुर जिला उदयपुर

तहसील

Telephone/Fax No.: 0522-2745904, 2338229 / e-mail: circledacknow-asi@gov.in

पत्रांक: 10-3/982/2023-स्मारक-नगर

दिनांक: 16/08/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कानपुर नगर।

विषय: केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सिमेद्री सुबेदार का तालाब', कानपुर नगर के निकट फ्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, तिलक नगर, खलासी लाईन कानपुर नगर' पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल के पत्र संख्या 3355/28-66(2021-22), दिनांक 23.12.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आवेदक 'मेसर्स पलोमा रियल्टी एंजिनीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 60/52, नयागंज, कानपुर, 208001' के द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सिमेद्री सुबेदार का तालाब (Subedar-kha Talab Cemetery)', कानपुर नगर के निकट स्थित 'फ्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, खलासी लाईन कानपुर नगर' पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय के श्री राकेश कुमार, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-प्रथम द्वारा दिनांक 12.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि श्री आर.के. शर्मा, श्री निखिल कौशल एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमण्डल-कानपुर में पदस्थ श्री खगेन्द्र बहादुर शाही, एम.टी.एस. उपस्थित थे।

उक्त संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल 'फ्री-होल्ड प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-3ए, तिलक नगर, खलासी लाईन कानपुर नगर' की केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'सुबेदार का तालाब सिमेद्री (Subedar-kha Talab Cemetery)', कानपुर नगर की संरक्षित सीमा से निकटतम दूरी लगभग 1810 मीटर है, जो कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के विनियमित क्षेत्र से बाहर है (Falls away from the regulated area of centrally protected monument)।

तदनुसार निरीक्षण आख्या (साइट प्लान, गूगल मैप एवं छायाचित्र की दो-दो प्रतियाँ सहित) इह संलग्न इस आशय से आपको अग्रसारित की जा रही है कि इस पर संबंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर के हस्ताक्षर उपरान्त इसे अधिलम्ब सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, महात्मा गाँधी मार्ग, कैसरबाग, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

अधीक्षक पुरातत्वविद्

# Registration Fee (Rs)

Payment - 3 - 2,00,000/- (Pre Certification)  
 Payment - 4 - 2,60,000/- (after Taddelaw Loughnabin)

REG Founding Member	25,000
REG Annual Member	25,000
REG Member	30,500

## Prerequisite Fee (Rs)

	2,500 sq m & below	2,501 sq m to 10,000 sq m	10,001 sq m to 50,000 sq m	50,001 sq m & above
REG Founding Member	25,000	1,00,000	2,25,000	2,25,000
REG Annual Member	25,000	1,05,000	<del>2,25,000</del>	2,50,000
REG Member	30,500	1,10,000	2,25,000	2,75,000

## Certification Fee (Rs)

	2,500 sq m & below	2,501 sq m to 10,000 sq m	10,001 sq m to 50,000 sq m	50,001 sq m & above
REG Founding Member	Fixed rate 1,00,000	Fixed rate 1,10,000	Based on area 2,50,000 plus Rs. 11.75 per additional sq m over & above 10,000 sq m	Fixed rate 7,20,000
REG Annual Member	1,00,000	1,10,000	2,50,000 plus Rs. 12 per additional sq m over & above 10,000 sq m	7,50,000
REG New Members	1,00,000	1,20,000	2,70,000 plus Rs. 12 per additional sq m over & above 10,000 sq m	7,50,000

# Registration Fee (Rs)

ISBC Founding Member	25,000
ISBC Annual Member	25,000
Non-Member	30,000

## Prescription Fee (Rs)

	2,500 sq m & below	2,501 sq m to 10,000 sq m	10,001 sq m to 50,000 sq m	50,001 sq m & above
ISBC Founding Member	85,000	1,00,000	1,75,000	2,25,000
ISBC Annual Member	90,000	1,05,000	2,00,000	2,50,000
Non-Member	95,000	1,10,000	2,25,000	2,75,000

## Carpetation Fee (Rs)

	2,500 sq m & below	2,501 sq m to 10,000 sq m	10,001 sq m to 30,000 sq m	30,001 sq m & above
ISBC Founding Member	Fixed rate 1,10,000	Fixed rate 1,10,000	Based on sq m 2,50,000 plus Rs. 11.75 per additional sq m over & above 10,000 sq m	Fixed rate 7,20,000
ISBC Annual Member	Fixed rate 1,05,000	Fixed rate 1,15,000	Based on sq m 2,50,000 plus Rs. 12 per additional sq m over & above 10,000 sq m	Fixed rate 7,40,000
ISBC Non-Member	Fixed rate 1,10,000	Fixed rate 1,20,000	Based on sq m 2,70,000 plus Rs. 12 per additional sq m over & above 10,000 sq m	Fixed rate 7,50,000

Payment - 3 - 2,00,000/- (Prescription)

Payment - 4 - 2,60,000/- (after Landmark)

पत्रांक: / सहा0अभि0-4 / निरीक्षण /

दिनांक: फरवरी २४, २०२३

विषय: मै0पलोमा रिचलटी एल0एल0पी0 में निर्माण की प्रगति एवं यूज ग्रुप हाउसिंग के लिये परिसर नम्बर 7/98 एवं 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या: 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या: 3ए, खलासी लाइन, कानपुर में निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री महेश चन्द्र जैन, पार्टनर मै0पलोमा रिचलटी एल0एल0पी0, 60/52, नयागंज, कानपुर नगर-208001 द्वारा परिसर नम्बर 7/98 एवं 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या: 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या: 3ए, खलासी लाइन, कानपुर में निर्माण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत कर कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है एवं श्री महेश चन्द्र जैन द्वारा ग्राम कोहना, कानपुर नगर की आराजी संख्या: 206 पर निर्माण की अनुमति हेतु अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराये है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। सम्बन्धित कर्मचारियों की आख्यानुसार उक्त स्थल का शहरीकरण हो जाने के कारण वर्तमान में उपलब्ध अवस्था से मिलान कराया जाना सम्भव नहीं हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम कोहना, कानपुर नगर की आराजी संख्या: 206 से जुड़ी हुई आराजियों (118, 119, 120, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 223, 224, 258, 260, 281, 282, 283, 284, 285, 312, 313, 314, 315) के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें कि उक्त आराजियों पर कोई राजकीय भूमि चिह्नित है अथवा नहीं।

भवदीय

-20-

सहायक अभियन्ता चतुर्थ  
कानपुर प्रखण्ड, बिघली गंगा नहर,  
कानपुर

पत्रांक: 6852 / तदिनांक: फरवरी २४, २०२३

प्रतिलिपि:

1. जिलेदार चतुर्थ, कानपुर प्रखण्ड, बिघली गंगा नहर, कानपुर को 'इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपजलमध्यकाया सदर, कानपुर नगर से व्यवहारात सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त सूचना प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कथना सुनिश्चित करें।
2. श्री महेश चन्द्र जैन, पार्टनर मै0पलोमा रिचलटी एल0एल0पी0, 60/52, नयागंज, कानपुर नगर-208001 को सूचनार्थ प्रेषित है।

20



# **ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुरोध** **For Objection Certificate for Height Clearance**

1) यह अनुरोध प्रमाण पत्र भारतीय विमानचलापन प्राधिकरण (भविष्य) द्वारा प्रस्तुत दायित्वों के अनुकूल तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नगर विमानन मंत्रालय) की अभिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, 751 (ए) विमानचलापन नियम, 2015, की एम. आर. 751 (ए) विमानचलापन नियम, 2015, द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) under GSR 751 (E) dated 30th Sep 2015, amended by GSR 751 (E) dated 17th Dec 2020 for safety and Regular Aircraft Operations.

2) इस कार्यालय की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	KANP/NORTH/100922/701945
आवेदक का नाम / Applicant Name	Binit Kumar Srivastava
स्थल का पता / Site Address	Proposed Group Housing Building Plan of Premises No. 7998 and Premise No. 7999 situated at an end of free hold plot No. 11, 12-A, 12 and 13, sectors No. 3A, Tilak Nagar Kachest Lane Kaspar Nagat Pin-208002, Tilak Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates	26 29 23.92N 80 19 06.02E, 26 29 24.84N 80 19 06.48E, 26 29 25.94N 80 19 07.91E, 26 29 25.99N 80 19 08.62E, 26 29 22.08N 80 19 10.15E, 26 29 24.98N 80 19 10.65E, 26 29 24.53N 80 19 11.37E
स्थल की ऊँचाई एमएसएल गीटर में (औसतन सड़क तल से ऊपर), (जोरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in meters AMSL as submitted by Applicant	126.36 M
अनुमत् अधिकतम ऊँचाई एमएसएल गीटर में (औसतन सड़क तल से ऊपर), (अनुमत् अधिकतम ऊँचाई एमएसएल गीटर में) / Permissible Top Elevation in meters Above Mean Sea Level (AMSL)	270.36 M

जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है:-

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमत् अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमानचलापन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की जांच करना का ना हो। उत्तरदायित्व वहन करता है और ना है इनको प्रमाणित करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाई की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्ष आदि के कारण अवरोध का विवरण) के अधीन कार्यवाई की जायेगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आदेश में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुसंधान में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विवरण के मामले में, नानिअ अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों के अनुसार अनुरोध करने के लिए स्थल (आवेदक या नानिअ के द्वारा) के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुरक्षित स्तर सहित) की गणना अनुमत् अधिकतम ऊँचाई (एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमत् अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any structure within) shall be calculated by subtracting the actual height of the site from the maximum permissible height.





नाम: पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign. with date

द्वारा तैयार Prepared by

द्वारा जांचा गया Verified by

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc\_nrt@airai.acro


फोन नं: 011-35653551

ANNEXURE/अनुलग्नक


Distance From Nearest Airport And Bearing निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest Airport/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी (मीटर में)	Bearing (Degree) from Nearest Airport/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी से बीयरिंग (डिग्री)
Karipur	6945	321.82
NOCID	KANP/NORTUG/00922701925	

Street View



Scale





01 18 11

01 18 11

Copy to:- Airport Director, Airport Authority of India, Kargil Airport, Kargil:-

(u) Ground file.

## अनापत्ति प्रमाणपत्र

एतद् द्वारा मेसर्स पहोना रियल्टी एलएलपी प्रतिनिधि श्री गणेश चन्द्र जैन द्वारा परिसर सं० 7/98 एवं 7/99, प्लॉट सं० 11, 11ए, 12 व 13 योजना सं० 3ए, खलासी जैन, कानपुर पर भवन निर्माण हेतु द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है। अतः भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन विभाग) के पत्रांक सं० के०डी०ए०/बी०पी०/22-23/0182/एन०ओ०सी० दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता, विवरण खण्ड-वाल्मीकि ने अपने कार्यालय पत्रांक सं० 2114/ई०ई०(डी०)/एन०डी०/2022 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित निर्गत किया जाता है:-

1. विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रसार 199 के (वृत्तीय संशोधन) के अनुपालन में ही उपगोक्ता/अपेक्षक/बिल्डर को समस्त निर्माण कार्य कराना होगा।
2. परिसर के निकट बिद्युत लाइन न होने की स्थिति में समस्त लाइन खाली कर लिये उपगोक्ता द्वारा देय होगा।
3. परिसर में यदि कोई खम्भा या लाइन पहले से मौजूद हो तो उस हटाने का समस्त व्यय उपगोक्ता द्वारा देय होगा।
4. परिसर में यदि कोई बिद्युत बकाया देय हो तो बकाया राशि भुगतान किये जाने के उपरान्त ही बिद्युत संयोजन दिया जायेगा।
5. सम्बन्धित पोषक/उपकेन्द्र यदि अतिभासित होगा तो उपकेन्द्र की भार तृप्ति/नया उपकेन्द्र/पोषक बनने पर होने वाला समस्त व्यय विकारा कर्ता द्वारा देय होगा।
6. नया उपकेन्द्र बनाने के लिए परिसर के अन्दर ही उपकेन्द्र बनाने के लिये दिक्कत कर्ता को भूमि उपलब्ध करानी होगी तथा मानचित्र में स्थान दर्शना होगा।
7. परिसर विवादित होने की स्थिति में विवाद संयोजन नहीं देया जायेगा।

/

(ललित कृष्ण)  
वैयक्तिक सहायक (प्र०)

पत्रांक 598/पी०ए०टी०/तददिनांक 20/09/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन विभाग), मोतीझील, कानपुर को पत्रांक सं० के०डी०ए०/डी०पी०/22-23/0182/एन०ओ०सी० दिनांक 13.05.2022 के अनुरोधन है।
2. अधिशासी अभियन्ता (वि०) नवाबगंज, कोशको, कानपुर।
3. पहोना रियल्टी एलएलपी प्रतिनिधि श्री गणेश चन्द्र जैन, परिसर सं० 7/98 एवं 7/99, प्लॉट नं० 11, 11ए, 12 व 13 योजना सं० 3ए, खलासी जैन, कानपुर।

(ललित कृष्ण)

(ललित कृष्ण)  
वैयक्तिक सहायक (प्र०)

### आनायति प्रमाणपत्र

एराट्र द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी प्रतिनिधि श्री महेश चन्द्र जैन द्वारा परिसर सं0 7/98 एवं 7/99, प्लॉट नं0 11, 11ए, 12 व 13 योजना सं0 3ए, खलासी लाइन, कानपुर एर मकान निर्माण हेतु द्वारा गान्छिन्न स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है। आता मकान निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण (वि0 विमान) के पत्रांक सं0 के0डी0ए0/बी0पी0/22-23/0182/एन0ओ0सी0 दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में अधिशेषी अभियन्ता, दितरण छपडुन्ना नगरपालिका ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 2114/ई0ई0(डी0)/एन0जी0/2022 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा श्री गयी आख्या के आधार पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमित प्रतिबन्धों सहित निर्गमित किया जाता है:-

1. विद्युत आपूर्ति संहिता के अन्तर्गत 4.3 के (तृतीय संशोधन) के अनुपालन में ही उपभोक्ता/आवेदक/बिल्डर को तनक्त निर्माण केंद्र करना होगा।
2. परिसर के नेटवर्क विद्युत लाइन न होने की स्थिति में तनक्त लाइन डालने का व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
3. परिसर में यदि कोई छान्ना या लाइन पहले से मौजूद हो तो उस हटाने का समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा।
4. परिसर में यदि कोई विद्युत बकाय देय हो तो बकाया शेषी भुगतान किये जग को उपरान्त ही विद्युत संयोजन दिया जायेगा।
5. सम्बन्धित पोषक/उपकेंद्र यदि अतिगारित होगा तो उपकेंद्र का भार वृद्धि/या उपकेंद्र/पोषक बनने पर होने वाला समस्त व्यय विकास कर्ता द्वारा देय होगा।
6. नया उपकेंद्र बनाने के लिये परिसर को अन्तर ही उपकेंद्र बनाने के लिये निकास कर्ता को भूमि उपलब्ध कराने हेतु तत्त गान्छिन्न में स्थान दर्शना होगा
7. परिसर विवादित होने की स्थिति में विद्युत संयोजन नहीं दिया जायेगा।

(ललित कृष्ण)  
वैयक्तिक सहायक (प्र0)

पत्रांक 548/पी0ए0टी0/तददिनांक 20.09.2022

प्रतिनिधि निम्नलिखित को शून्यार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1. कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन विभाग), मोतोड़ीला, कानपुर को पत्रांक सं0 के0डी0ए0/बी0पी0/22-23/1182/एन0ओ0सी0 दिनांक 13.05.2022 के अनुपालन में।
2. अधिशेषी अभियन्ता (वि0) नन्दाग्रवाल, केसको, कानपुर।
3. पलोमा रियल्टी एलएलपी प्रतिनिधि श्री महेश चन्द्र जैन, परिसर सं0 7/98 एवं 7/99, प्लॉट नं0 11, 11ए, 12 व 13 योजना सं0 3ए, खलासी लाइन, कानपुर।


(ललित कृष्ण)  
वैयक्तिक सहायक (प्र0)

श्री अजय कुमार सिंह,  
नगर नियोजक,  
कानपुर विकास प्राधिकरण,  
कानपुर नगर

कृपया अपने पत्र सं०-के.डी.ए./बी.पी./22-230/82/एनओसी दिनांक 03.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से नैरर्स पलौगा रिथलटी एलएलपी यूज ग्रुप हाउसिंग के लिये प्लान नं०-7/98 एवं 7/99 स्टैडिंग फ्री होल्ड प्लॉट सं०-11,11ए,12 व 13 योजना सं०-3ए खलासी लाइन निर्माण से पूर्व दो पहिया/चार पहिया वाहन पार्किंग हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने विषयक है।

उक्त संदर्भ में श्री विनय कुमार सिंह यातायात निरीक्षक अस्थायी जेन यातायात लाइन कानपुर नगर से स्थलीय निरीक्षण कराते हुये 30.09.2022 को उक्त पलौगा रिथलटी एलएलपी यूज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट सं०-11,11ए,12 व 13 योजना सं०-3ए खलासी लाइन में अभी नव निर्माण शुरू नहीं हुआ है एवं के.डी.ए. द्वारा भवश पास कशने हेतु आवेदन किया गया है। जिसका नक्शे, उपलब्ध कराया गया है, उक्त स्थल पर वहन पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उक्त स्थल पर पार्किंग हेतु औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की गयी है।

अतः श्री विनय कुमार सिंह यातायात निरीक्षक पश्चिम जेन के द्वारा प्रेषित की गयी आख्या के आधार पर उक्त स्थल पर पार्किंग हेतु औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। यह प्रमाण पत्र आपक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अशिलखों के आधार पर निर्गत किया जाता है। इसके असत्य होने पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

  
(सलमान यातायात प.टी.टी.)  
पुलिस उपनिरीक्षक, यातायात  
कमिश्नरी, कानपुर नगर।

No.: UPMRC/PD/KANPUR/2022-23/120/66

Date: 30.09.2022

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना,

उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, कानपुर।

सेवा में,

नगर नियोजक,

मानचित्र सेल,

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

C

विषय: M/s Paloma Realty I.P के स्वामित्व अंतर्गत प्लॉट संख्या-11, 11-A, 12 & 13, Khalsi Line III A, Kanpur में निर्माण हेतु अनापत्ति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

गहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कानपुर विकास प्राधिकरण का पत्र संख्या KDA/BP/22-23/0182/NOC दिनांक-13.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का लक्ष्य करें, जो भवन निर्माण संवर्धित उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अनापत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में है। आपके पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्तावित निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति दी जाती है:-

1. During execution of work, it is to be ensured that UPMRC utilities, structures & other assets shall not be damaged/affected in any way.
2. It shall also be ensured that all statutory clearance/requirements of other Government departments shall be complied for the subject work.

इसके अतिरिक्त यह अनापत्ति इस शर्त के अधीन होगी कि भविष्य में उक्त संरक्षण अथवा मेट्रो स्टेशन की लोकेशन में किसी परिवर्तन के कारण इस परियोजना के किसी प्रयोजन हेतु यदि प्रश्नगत स्थल की नूति ल अर्जन किया जाना होगा तो इस अनापत्ति के आधार पर स्वीकृत मानचित्र से मेट्रो के अर्जन प्रस्ताव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत राइट प्लान की मुद्रि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमनुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी तथा आवेदक द्वारा मानचित्र में प्रस्तावित भवन की ऊँचाई, मेट्रो से भवन की दूरी तथा बेसमेन्ट की गहराई व फाउन्डेशन डिटेल्स में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

/

(अरविन्द सिंह)

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: M/s Paloma Realty LLP, Kanpur को उनके पत्र दिनांक-08.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

30.09.22

हम, काननपुर विकास प्राधिकरण एवम मेसर्स पत्नीया रिजल्टी एलएलपी नयागंज, काननपुर नगर द्वारा पार्लमर श्री महेश चन्द्र जैन पुत्र स्व० बी०डी० जैन, नि० ५५ बी २ टैगोर रोड, कैन्ट, बगनपुर आज दिनांक 29.12.2022 को आगे उल्लिखित/प्रिन्टेड शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक पूरक इन्डेन्डर डीड को निष्पादित करते हैं एवम रक० 12,53,885/- की स्टेम्प ड्यूटी को भुगतान "इन स्टेम्प पत्रों के माध्यम से" कर चुके हैं, जो विलेख के साथ संलग्न है।

विलेख सैकर कर्ता,

  
एल०डी०सी०

FOR OMNI REALTY LLP  
Vikash Chandra Jain  
Partner



कुड्डो बाधन कागपुर (वकास प्रा.प्र.क.१९७७) १॥अनवर। अह। आग। चलकर। यकता कडा।  
 राया है। प्रथम पक्ष तथा मैसर्स पलोंगा रिहाली एसएसपी अथराज, कानपुर नगर  
 द्वारा पार्सनर श्री महेश चन्द्र जैन पुत्र स्व० बी०डी० जैन, नि० ६६ बी २ टंगोर रोड  
 कैन्ट कानपुर (जिसको आगे चलकर कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिदा  
 गया है।

विदित हो कि कामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिकीत्स की जा रही सम्पत्ति मुख्यण्ड सं० 11, 11-ए, 12 व 13 स्क्रीन नं० 3ए, खलासी लाइन कामपुर नगर का जुंज भाग कुल एकठा 273.56 वर्ग मीटर का एकमेव मालिक व स्वामी है।

चूँकि सर्वप्रथम कामपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कामपुर इन्फ्रामेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकीत की गयी सम्पत्ति भूखण्ड सं० 11, 11ए, 12 एवं 13 स्वकीम-3, ए खंलासी लाइन कामपुर नगर कुल रकबा 3.48 एकड़ अर्थात् 14083.36 वर्ग मीटर की इन्डेन्चर डीड का निषादन द्वारा का हैम्पल ट्रस्ट Public religious and charitable trust अखि मेनेजर लाला कमलापत पुत्र लाला जुंगी लाल निवासी चटई मोहल कामपुर नगर को पक्ष में आवासीय प्रयोजन हेतु निषादित है। जिसका पंजीकरण एच रजिस्ट्रार कामपुर नगर को आदेशिका में सं० 1 की जिल्द सं० 606 के पृष्ठ सं० 1 से 4 तक के क्रमांक 2534 पर दिनांक 15/12/1927 को हुआ।

तदोपरान्त उपरोक्त ट्रस्ट के मैनेजमेण्ट द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या-41, 41ए, 12 व 13 को 3 परिसरों में विभक्त कर बैंगला का निर्माण कराया तथा नगर महानगरिका, कानपुर नगर से उक्त निर्माण को वर्ष 1927-32 के पंचशाले के अनुसार क्रमशः 7/1923ए, 7/223बी व 7/223सी निर्धारित किया। उक्त पंच वर्ष 1938-43 के पंचशाले के अनुसार पुनः निर्धारित होकर क्रमशः 7/75, 7/76 व 7/77 निर्धारित हुई तथा वर्ष 1943-48 के पंचशाले से आज तक उक्त भूखण्ड की नयी संख्या क्रमशः परिसर संख्या-7/97, वृत्त रकबा 4728.26 वर्ग मीटर, परिसर संख्या-7/98 वृत्त रकबा 4643 वर्ग मीटर एवं परिसर संख्या-7/99

[illegible]

William C. Calkins

67  
:  
:  
22  
22



यह भी विदित हो कि तदोपरान्त ट्रस्ट द्वारा न्यायालय जिला जज, कानपुर नगर में वाद संख्या-442/2020 द्वारा जिला जज के दायरे में दीखल किया गया, जिसमें वास्तु ट्रस्ट की उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय के संबंध में दीखल किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय, जिला जज द्वारा आदेश करते हुए विक्रय करने की अनुमति ट्रस्ट को प्रदान कर दी गयी। जिसके तहत ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त सम्पत्तियों में से परिसर संख्या-7/97, कुल रकबा 4728.28 वर्ग मीटर को V.V.S Concast LTD. A Company duly incorporated under the companies Act. 1956 एजिओ ऑफिस 128/129, कै-ब्लाक, किदवेई नगर, कानपुर द्वारा आदेशद्वारा निओ गजा नम्बर अग्रवाल के पक्ष में विक्रय कर दिया गया तथा दोनो परिसर सं 7/98 कुल रकबा 4618.43 वर्ग मीटर एवं परिसर सं 7/99, कुल रकबा 5017.03 वर्ग मीटर को मेसर्स ग्लोमा रियल्टी एलएलपी कार्यालय 60/52, मंगगंज, कानपुर नगर द्वारा पॉर्टनर श्री महेश चन्द्र जैन पुत्र स्व 0 बी 0 डी 0 जैन, नि 55 बी 2 टैगोर रोड कैन्ट कानपुर के हक में दिनांक 18/03/2021 को विक्रय कर दिया। उपर्युक्त सम्पत्ति विक्रीत सम्पत्ति भूखण्ड सं 11, 11ए, 12 व 13 का जुज भाग है।

यह भी विदित है कि उपरोक्त विक्रय पत्र निष्पादित हो जाने के उपरान्त मेसर्स पल्लोमा रियल्टी एलएलपी कार्यालय 60/52, नयागंज, कानपुर नगर द्वारा पॉर्टनर श्री महेश चन्द्र जैन पुत्र स्व 0 बी 0 डी 0 जैन द्वारा अपने दोनो भूखण्डो क्रमशः 7/98 कुल रकबा 4618.43 वर्ग मीटर एवं परिसर सं 7/99, कुल रकबा 5017.03 वर्ग मीटर कुल रकबा 9633.46 वर्ग मीटर जो कि भूखण्ड सं 11, 11ए, 12 व 13 स्क्रीन 3ए, खलसी लाईन, कानपुर के जुज भाग पर स्थित है के नामोलब्ध हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। समांतरण की प्रक्रिया में ही कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार यह सद्य सामने आया कि प्रार्थी मेसर्स ग्लोमा रियल्टी एलएलपी द्वारा, वर्ष 1927 में कानपुर इन्फ्रामेन्ट ट्रस्ट द्वारा हारिकोधीश टैम्बल ट्रस्ट के हक में निष्पादित की गयी इन्वेन्चर डीक जिसका कुल रकबा 14083.06 वर्ग मीटर था, है

For M.A. KALYAN L.P.

For M.A. KALYAN L.P.

2000

स्टेन्ड जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर निम्न प्रकार से प्राप्त किये गये हैं:-

भूमि की दर ₹ 58,000 / - रु० प्रति वर्ग मी०

सम्पत्ति कॉर्नर की होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिमत

₹ 61,600 / - रु० प्रति वर्ग मी०

भूमि की कुल कीमत - ₹ 1,71,65,456 / -

7 प्रतिशत की दर से स्टैन्ड - ₹ 12,01,581.92 / - अर्थात् ₹ 12,03,000 / -

### विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य

₹ 1,71,65,456 / का नुगतान क्रेता द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण / विक्रेता को कोष में विनांक 12/04/2022 को जरिये RTGS, HDIC BANK, UTR No. BARBR52022041200990336 द्वारा जमा किया जा चुका है।

विक्रेता / प्रयत्नपक्ष ने क्रेता / द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रय मूल्य उपरोक्त विवरण अनुसार प्राप्त कर लिया है, अब विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में कोई भी धन विक्रेता को क्रेता से प्राप्त करना शेष नहीं बचा है।

अतः विक्रेता ने क्रेता इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड सं० 11, 11-ए, 12 व 13 स्विस नं० 3ए, खेसासी लाइन, कानपुर नगर का जुज भाग कुल रकबा 278.66 वर्ग मीटर पर आगे अभिव्यक्त अधिकारों/शर्तों के अधीन आवासीय उपयोग हेतु विक्रय किया जाना स्वीकार कर लिया है। प्राधिकरण को महायोजना/आरा-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस भूखण्ड का आवासीय हेतु उपयोग किया जाना है, अतः विक्रेता द्वारा क्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रेता अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग मूल इन्डेन्डेंसरी लैंड विनांक 25.12.1927 में निर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुसार ही करेगा।



25.12.2021  
25.12.2021



साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड कता क पक्ष में भाग ले करने हेतु कता द्वारा विक्रेता की भूखण्ड को विक्रय करने हेतु समूह मुख्य के बिदे गये भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा वर्णित प्रसविदों और शर्तों जिनका कता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद् द्वार वह भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया है, और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया है। उस कता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और कता उसके दावाधिकारी तथा संननुदेशितों मूल इन्डेन्चर दिनांक 05.12.1927 में वर्णित शर्तों के अधीन सदा के लिये उसे अपना अधिकार में रखेंगे। इस विलेख के मिषादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड पर कता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा वह उसे संवेच्छा में प्रभावी विधि नियमों, विनियमों, इन्डेन्चर डीड दिनांक 05.12.1927 के अधीन प्रयोग करेंगे।

इसमें अभिशिष्ट अनुसूची निम्नांकित है-

भूखण्ड सं0 11, 11-ए, 12 व 13 स्क्रीम नं0 3ए, खलासी लाइन, कानपुर नगर का जुजु भाग कृता रकबा 278.86 वर्ग मीटर जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

पूरब : दरिसर 7/8 व 7/9 जो कि भूखण्ड सं0 11, 11-ए, 12 व 13 स्क्रीम नं0 3ए, खलासी लाइन कानपुर नगर पर स्थित है, का जुजु भाग  
पश्चिम: 4.57 मीटर चौड़ी रोड  
उत्तर : 4.57 मीटर चौड़ी रोड  
दक्षिण : 24 मीटर चौड़ी रोड

हस्ताक्षर कता प्राधिकरण की ओर से तथा उसके प्राधिकृत  
FOR PALOMA REALTY LLP  
Cachet & Co. Chartered Accountants  
Chartered

1. श्री विनोद कुमार यादव

पुत्र श्री छोटो लाल

नि० प्लॉट नं० - 44 गवानी नगर, दहली सुजानपुर, कानपुर

आधार नं०-2313 8544 7280

मोबाईल नम्बर- 9836835876

प्रमाणित

2. श्री विनेश प्रसाद द्विवेदी,

पुत्र श्री एस एन० द्विवेदी,

नि० कैलाश ऐलेस गैस्ट हाउस रोड, 6/247-ए, गोपीनोहरपुरम

शुक्लागंज, लम्बाब-209881 (उ०प्र०)

आधार नम्बर-3534 0278 7927

मोबाईल नम्बर-7897592232



प्रमाणित

प्रमाणित

FOR PALOMA REALTY LLP  
Prakash Chandra (नि० प्लॉट)

Partner

प्रमाणित  
श्री. एम. सिंह  
मोबाईल नम्बर

नम्बर



FOR CALIFORNIA REALTY CO.  
J. P. JAMES & CO. INC.

RECEIVED THE UNIVERSITY  
OF CALIFORNIA  
LIBRARY

157 M. WIDE ROAD

ABEY = 204 R. 30 M.

204 R. 30 M.

SOLD PORTION SH



2400 FT WIDE ROAD EXISTING ROAD

3600 M. WIDE ROAD AS PER MASTER PLAN 2021



29

உள்ளுறை: 16. || 16 || 16 || 16 ||

Thank You

*[Handwritten signature]*

2



कायालय त्वशसकायाधकारा (जान-1)  
कानपुर विकास प्राधिकरण

पत्रांक:- डी/ 19 /ओ0एस0डी0-1/का0वि0प्रा0/21-22

दिनांक:- 6-4-2022

सेवा मे,

श्री महेश चन्द्र जैन (पार्टनर)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एल0एस0पी0

निवासी- 60/52 मया गंज

कानपुर नगर।

विषय:- भू0स0 11, 11ए, 12 एवं 13 योजना स0 3ए खलासी लाइन कानपुर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26-03-2022 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्तियों के आधार पर भू0स0 11, 11ए, 12 एवं 13 योजना स0 3ए खलासी लाइन कानपुर की अतिरिक्त भूमि का आवंटन आपके पक्ष में किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04-04-2022 को प्रदान कर दी गयी है। वर्णित भूखण्ड को अतिरिक्त भूमि का मूल्य स0 1,71,65,456.00 (एक करोड़ इकहत्तर लाख पैंसठ हजार चौर सौ छप्पन मात्र) देय बनला है। अतः उपरोक्त धन प्राधिकरण कोष में जमा कर जमा धनराशि की रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ताकि आपके प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

*Bharat*  
06/4/2022  
विशेषकायाधिकार

जीन-1

पत्रांक:- D/1071/CSO I RD A 21-22 दिनांक:- 21-12-2022

सेवा में,

श्री महेश चन्द्र जीन (महानेह)  
मेसर्स पलोना रियल्टी एल0एल0पी0  
निवासी-80/52, नया गंज,  
कानपुर नगर।


विषय:- भूखण्ड सं0-11, 11ए, 12 एवं 13 योजना-3ए खलासी लाइन, कानपुर नगर क्षेत्रफल 9354.80 वर्गमी0, के रजिस्टर्ड बैलाने के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप द्वारा एकल विण्डो में दिनांक 20.07.2021 को नामान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पंजीकृत बैलाना दिनांक - 18.03.2021 के आधार पर उक्त भूखण्ड की इन्डेन्चर डीड दिनांक 05.12.1927 में निहित सभी शर्तों व प्रलियन्सों के अधीन तथा विकास प्राधिकरण के समस्त प्रावनों का प्रथम अधिकार सुरक्षित रखते हुए भूखण्ड के जुज भाग क्षेत्रफल 9354.80 वर्गमी0 पर भूल छेला श्री लाला कमला पत भैरंजर श्री द्वारिका धीश टेम्पल ट्रस्ट पुत्रे स्व0 लाला जुगो अर्थात श्री द्वारिका धीश टेम्पल ट्रस्ट A P 0010 Religious and charitable trust office at Kamla Tower 29/1 द्वारिका धीश रोड, कानपुर द्वारा अधराइडन्ड ट्रस्टी अजाय कुमार सरावगी बुत्र स्व0 श्री किशन लाल सरावगी अधराइडन्ड बोर्ड बोर्ड मीटिंग 25.12.2020 को नाम पृथक करते हुए प्रस्तुत मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2020 के आधार पर वर्णित बैलाना दिनांक 18.03.2021 के अनुसार भूखण्ड सं0-11, 11ए 12 व 13 योजना सं0-3ए खलासी लाइन जुज भाग क्षेत्रफल 9354.80 वर्गमी0 का मूल केतों के रूप में मेसर्स पलोना रियल्टी एल0एल0पी0 (एल0एल0पी0 आईडेल्टी फिकेशन नं0-ए0ए0ए0 3574) कार्यालय 60/52 नयागंज कानपुर का नाम प्राधिकरण अभिलेखों में भूखण्ड सं0-11, 11ए 12 व 13 योजना सं0-3ए खलासी लाइन के भूमि का उपविभाजन किया गया है, इस लिये उपविभाजन की अनुमति प्राप्त करने एवं इन्डेन्चर डीड की सभी शर्तों आवेदक पर लागू रहने के साथ विक्रय क्रिये गये कुल जुज भाग में से 278.86 वर्गमी0 भूमि के क्षेत्रफल को छोड़कर शेष भाग क्षेत्रफल 9354.80 वर्ग मी0 का नामान्तरण किया जाना है। तदनुसार विक्रय विलेख में क्षेत्रफल को भी संशोधित करायें जाने की शर्तों के अधीन उपाध्यक्ष सहोदय द्वारा दिनांक 15.03.2022 को स्वीकृति ब्रह्मन करदी गयी है, यदि आप द्वारा कार्यलय में प्रस्तुत अभिलेखों में कोई भी त्रुटि पायी गयी तो आप के पक्ष में किया गया नामान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय,

21.12.22



सत्यमेव जयते

## e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-UP42/10082107076T

04-Mar-2021 01:11:45 PM

NEWMM-ACC (SV)/UP14130904/KANPUR/UP-KNP

SUBIN-PUP1413090473722156090231T

MS PAL DMA REALTY LLP

Article 23 Conveyance

Pr. NO. 198 AND Pr. NO. 799 TILAK NAGAR KANPUR

SHRI DIVARIKADHEESH TEMPLE TRUST

MS PAL DMA REALTY LLP

MS PAL DMA REALTY LLP

₹.60,00,000


(Five Crore Sixty Lakh only)



e-STAMP LOCKED

R.H. KANTER NAGAR

Please write or type below this line



Chandra Tan

0001588098

अक्षर संख्या : 2021030948020100  
नेम के क्रमांक एवं प्रमाण जारी की तिथि : 2021-03-18 08:10:00

प्रमाणिका की शर्तों को पढ़ें : [अप्रमाणित संदेश](#)

लेखक का प्रकार : वि. सं. सं.

प्रमाणिका की शर्तों को पढ़ें : 4800000000 1-4800000000.00

1. लेखिका का शुल्क 8000000

2. प्रमाणिका शुल्क 100

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. प्रमाणिका के अधिकारों का शुल्क

5. प्रमाणिका शुल्क

6. निरीक्षण

7. प्रमाणिका शुल्क

8000000

1 से 9 तक का शुल्क

शुल्क: प्रमाणिका शुल्क का निर्धारण

निरीक्षण शुल्क: प्रमाणिका शुल्क का निर्धारण

प्रमाणिका शुल्क: प्रमाणिका शुल्क का निर्धारण

लेखिका का प्रकार : वि. सं. सं.

3102

**II. PAKI VILLI**  
**NAME OF OFFICE: SUB-REGISTRAR, ZONE-II, KANPUR NAGAR**

Date of Presentation : 18.03.2021

Date of Execution : 04.03.2021

Nature of Documents : Sale deed

Sale Consideration : Rs. 80,00,00,000/-

Value as per D.M. Circle Rate : Rs. 49,00,00,000/-

0.75% towards T.D.S. deposit : Rs. 60,00,000/-

**SHORT DETAILS OF DOCUMENT**

1. Ward area/Mohalla : Tilak Nagar Kanpur Nagar
2. Plot /Premises no. : Premises No. 7/98 Admeasuring 4616.43 Sq. Mtr. and Premises No. 7/99 admeasuring 5017.03 Sq. Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. Tilak Nagar Kanpur standing on part of free hold plot nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated Scheme No. 3A Khalasi Line, Kanpur Nagar

3. Total Area of plot : 9633.46 Sq. Mtr.

4. Width of road as per map : 24.39 Mtr. (80 Ft.) wide road

5. Nature of property : Residential

6. Boundaries of Premises No. 7/98 and Premises No. 7/99, Tilak Nagar Kanpur standing on part of free hold plot nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated Scheme No. 3A Khalasi Line Kanpur Nagar bounded as under:-

North : Lane to Abhimash Gyan Neer Thereafter

Bungalows

South : 23.43 Mu. wide Road

Number of Vendor : One

Number of Vendee : One

**Name of the Vendor:**

Shri Dwarikadheesh Temple Trust, A Public Religious and Charitable Trust, having its office at Kamla Tower, 29/1, Dwarikadheesh Road, Kanpur Nagar through its Authorized Trustee Shri Ajay Kumar Saraogi, S/o Late Shri Kishan Saraogi duly authorized by the Board of Trustees in its meeting dated 25/12/2020

Pan No. AAATS4728D Aadhar No. 859142287942

Mob. No. 9335014929

**Name of the Vendee:**

M/s. PALOMA REALTY LLP (LLP Identification No. AAU-3574) having its Registered office at 60/52 Nayaganj, Kanpur-208001 (UP) through its authorised Partner Shri Mahesh Chandra Jain, adult son of Late Sri B.D. Jain resident of 55B-2, Tagore Road, Camt., Kanpur Nagar duly authorized vide its Resolution dated 22.10.2020;

Pan No. AAZFP3746P Aadhar No. 4551 8769 0606

Mob. No. 9839030535

*Shri Mahesh Chandra Jain*

**DETAILS OF PROPERTY INFORMATION**

1. Place : Tilak Nagar Kanpur Nagar
2. Plot / Premises no. : Premises No. 7/98 Admeasuring 4616.43 Sq. Mtr. and Premises No. 7/99 admeasuring 5017.03 Sq. Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr.
- Tilak Nagar Kanpur standing on part of free hold plot nos. 11, 11A, 12 and 13 situated Scheme No. 3A Khalasi Line Kanpur Nagar

3. Total Area of plot : 9633.46 Sq. Mtr.
4. Covered area : Nil (Only Boundary wall)
6. Use of property : Residential
7. Shape of property : Open plot
8. Park Facing : No
9. Two side Road : yes

**DETAILS OF PAYMENT OF STAMP DUTY :-**

1. Prescribed Rate of Land by : Rs. 60,000/- per Sq.Mtr.  
DM upto 2000 Sq.Mtr.  
(As per Prarup 3 Part 2)
2. Prescribed Rate of Land by : Rs. 42,000/- per Sq.Mtr.  
DM above 2000 Sq.Mtr.  
30% Less i.e.  
(As per Prarup 3 Part 2)
3. Cost of Land (2000x60000) : Rs. 12,00,00,000/-





**AND**

M/s. PALOMA REALTY LLP (LLP Identification No. AAU 3574) having its Registered office at 60/52 Nayaganj, Kanpur-208001 (UP) through its Partner Shri Mahesh Chandra Jain, adult son of Late Sri B.D. Jain resident of 55B-2, Tagore Road, Cantt., Kanpu Nagar duly authorized vide its Resolution dated 22.10.2020; hereinafter referred as VENDOR which expression unless repugnant to the context shall include & mean its, successors, partners, representatives & assigns of party of Second Part.

WHEREAS vide indenture dated 05.12.1927, the Cawnpore Improvement Trust now known as Kanpur Development Authority demised a free hold plot Nos. 11, 11A, 12 and 13 situated at Scheme No. 3-A, Khalasi Lines, Kanpur admeasuring 3.48 Acres i.e. 1.4094 Hect i.e. 14094 Sq. Mtr. to the Vendor i.e. Shri Dwarkadheesh Temple Trust, through its the then Manager Lala Kamalpat Singhania S/o Lala Jugglal, then resident of Chatral Mohal, Cawnpore, said indenture is duly registered in the Office of Sub-Registrar Cawnpore, in Book No. 1 Volume No. 606 at Pages 1 to 4 at serial No. 2534 on 10.12.1927.

Alcibiades

AND WHEREAS in year 1940-41, the Kanpur Municipal Corporation trust had raised the constructions of independent bungalows over said plots of land, which have been duly assessed by the Kanpur Nagar Mahapalika and allotted separate municipal numbers as Premises No. 7/97, admeasuring 4728.26 Sq. Mtr., 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr. and Premises No. 7/99 admeasuring 5017.03 Sq. Mtr. Tilak Nagar, Kanpur Nagar by Kanpur Nagar Mahapalika, Kanpur.

AND WHEREAS out of said Premises, the Vendor has sold out Premises No. 7/97, Tilak Nagar, Kanpur admeasuring 4728.26 Sq. Mtr to V.V.S. Concast Ltd., a company duly incorporated under the Companies Act, 1956, having its Regd. office at 128/119 'K' Kidwai Nagar Kanpur through its Director Mr. Gajanand Agarwal, vide sale deed dated 27.12.2001 which was duly registered in the office of Sub-Registrar Kanpur in Book No. 1 Volume No. 2030 at Pages 97 to 280 at Serial No. 3217 on 31.12.2001.

AND WHEREAS the above Vendor is sole and absolute owner in possession of said Premises No. 7/98 Tilak Nagar Kanpur admeasuring 4616.43 Sq. Mtr. and Premises No. 7/99 Tilak Nagar Kanpur admeasuring 5017.03 Sq. Mtr. total

*(Signature)*  
Sd/- Kanpur Nagar Mahapalika

admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. fully described and used as the foot of this deed. The aforesaid Bungalow were let out to the tenants, however the rental income derived from those tenants was very meager, which was not even sufficient to meet out of statutory taxes, and other maintenance expenses and the salary of the staff etc. thus the trust was not deriving adequate benefits from the said premises /valuable land owned by it, hence for proper utilization of properties and to increase the income of the trust, for fulfilling the objectives of the trust, Vendor got the property vacant from tenants.

AND WHEREAS after getting the vacant possession of the said bungalows no. 7/98 and 7/99 Tilak Nagar Kanpur from the tenants the Vendor has demolished the entire existing constructions and presently the subject land underneath premises No. 7/98 and Premises No. 7/99 Tilak Nagar Kanpur admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. is in the shape of open land surrounded by the boundary wall described and detailed at the foot of this deed and entire subject land of this Sale deed is in the exclusive ownership and possession of the Vendor, no one except the Vendor has any rights, title or interest over it and the Vendor is fully empowered to deal with said property, as per its wishes and choice which is hereinafter referred as "Subject

property" and the said property of vendor is free from all sorts of encumbrances, charges, attachment, sales, demands, claims etc.

AND WHEREAS in its meeting dated 02.02.2019 the Board of Trustees of the Vendor have decided to establish a Hospital of National Repute in Kanpur City for the benefit of the public at large, of Kanpur and adjoining districts and for meeting out the cost for establishing the proposed hospital, the trust had decided to sell, the premises No. 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr., Premises No. 7/99, admeasuring 5017.03 Sq.Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. Tilak Nagar Kanpur built over part of free hold plot Nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated at Scheme 3A, Khalasi Lines, Kanpur Nagar.

AND WHEREAS the board of trustees of the Vendor has decided that the proceeds from the sale of the Premises No. 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr., Premises No. 7/99, admeasuring 5017.03 Sq.Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr., located at Tilak Nagar Kanpur and built over part of free hold plot Nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated at Scheme 3A, Khalasi Lines, Kanpur Nagar will be used by the trust for constructing a Multi Specialty Hospital and/or for other charitable purposes.

AND WHEREAS the Vendee being desirous to acquire a property in said vicinity and after examining the relevant chain title documents of the said property and is fully satisfied with regard to valid disposing power of the Vendor, as such property is being sold on "as is where is basis" to the Vendee, offered to purchase the said property described and detailed at the foot of this deed on sale consideration of Rs. 80,00,00,000/- (Eighty Crores Only) free from all sorts of encumbrances, on the condition that Vendor shall delivered the physical vacant possession of said property agreed /sought to be sold to the vendee at the time of execution and Registration of sale deed.

AND WHEREAS the proposal given by the Vendee is appropriate therefore the Vendor has agreed to sell the aforesaid property to the Vendee at the agreed sale consideration of Rs. 80,00,00,000/- (Rupees Eighty Crores Only) and entered into a M.O.U. dated 22.10.2020, The Vendor trust is a Public Religious and Charitable Trust, hence as per provisions contained in Section 7 of the Charitable and religious Trust Act, 1920 a permission to sell the said premises from the District Judge Kanpur Nagar was required.

01/07

*Apkesh Chandra*

AND WHEREAS the Vendor Trust has applied for permission U/s. 7 of the Act before District Judge Kanpur Nagar which was numbered as Misc. Case No. 442 of 2020 Dwarikadheesh Temple Trust vs. M/s. Paloma Realty LLP, and vide order dated 18.12.2020, Hon'ble District Judge, has allowed the said application and in pursuance thereof, this deed of sale is as approved by the District Judge Kanpur Nagar.

**NOW THIS DEED OF SALE WITNESSETH AS UNDER :-**

1. That in pursuance of sale consideration of Rs. 80,00,00,000/- (Rupees Eighty Crore Only) paid by the Vendee, to the Vendor, the Vendor as absolute owner hereby convey, transfer, sell and assign Premises no. 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr., and Premises No. 7/99, admeasuring 5017.03 Sq.Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. Tilak Nagar Kanpur built over part of free hold plot Nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated at Scheme 3A, Khalasi Lines, Kanpur Nagar to the Vendee, free from all encumbrances including all property, estate right title and interest, use, inheritance possession, benefits, unto upon or of the said premises described in Schedule 'A' hereunder, the property, hereby conveyed.

*Attest*



together with every right or easementary and appurtenances to the Vendee, forever as heritable and transferable property. The property hereby sold is more specifically described in Schedule 'A' of this sale deed.

2. That entire sale Consideration of Rs. 80,00,00,000/- (Rupees Eighty Crores Only) has been paid by the Vendee to the Vendor, the receipt of which is hereby duly acknowledged by the Vendor, For all purpose, the details of the payment made by the Vendee to the Vendor has been given in Schedule -B of this sale deed and now, nothing remained due from, the Vendee to the Vendor, pertaining this transaction.

3. That the Vendor does hereby covenants and declare that the said property which is sold, conveyed and transferred to the Vendee, is free from all encumbrances, charges, claims and /or liens of every sort and description whatsoever or any person or persons claiming for or under its including there does not exist any agreement to sell with any body in respect of any portion or whole of the said property except the vendee, as described above

*Prakash Chandra Jain*

and no litigation pertaining to subject property is pending in any court, High Court or Apex Court etc.

4. That all rights title and interest in respect of Premises No. 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr., Premises No. 7/99, admeasuring 5017.03 Sq.Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. Tilak Nagar Kanpur built over part of free hold plot Nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated at Scheme 3A, Khalsi Lines, Kanpur Nagar together with rights and privileges availed by the Vendor in totality is hereby transferred to the Vendee, as such neither Vendor nor its successors or any one on behalf of Vendor will have any right title and interest over any portion of said premises.

5. That the Vendor does hereby make covenant and declare that the rights hereby transferred subsists and the Vendor has right to transfer and alienate the same, now the Vendee shall have the same right as the Vendor had and shall always be entitled to transfer and alienate the same.

6. That the parties to this deed do hereby make covenant and declare that the Vendor has paid all the taxes, dues, cess including the House Tax, Water tax and sewer Tax upto today and the Vendee shall be responsible to pay

(1) *Shri Chandra Shekhar*

henceforth, if the Vendee has to pay anything in account of the Vendor (till the date of execution of this sale deed) The same shall be reimbursed by the Vendor to the Vendee.

7. That the Vendee shall be entitled to get its name mutated in the record of Nagar Nigam Kanpur, Kanpur Development Authority or in any other department and in case, consent of the Vendor or its successors be ever required for mutation of the name of the Vendee or its successors as owner in possession over the property hereby sold, the Vendor and/or its successors, as the case may be shall be ever ready to give its consent for said purpose orally and/or in writing and this deed itself shall be ever treated/construed as sufficient and due consent of the Vendor for mutation of the name of the Vendee and its assigns in record of Kanpur Nagar Nigam /Kanpur Development Authority and other authority.

8. That entire expenses for execution and Registration of sale deed will be borne by the Vendee.

9. That the peaceful and vacant possession of the said property has been delivered to the Vendee simultaneously on the date of execution of this sale deed.

At Kanpur this 10th day of March 2012

10, That the Vendor hereby further covenant and agree that if the property hereby conveyed or any part thereof is lost by the Vendee and /or its successors and assigns on account of any defect in the title of the Vendor and/or enjoyment of said property by the Vendee is disturbed by anyone claiming title paramount to the vendor or its assigns on account of any litigation started by anyone claiming through or under the Vendor or otherwise on account of any breach of any covenant of this deed, Vendor shall be liable to make good all losses or damages sustained and/or to be sustained by the Vendee.

#### SCHEDULE -A

#### DESCRIPTION & BOUNDARY OF THE PROPERTY HEREBY SOLD

Premises No. 7/98, admeasuring 4616.43 Sq. Mtr.

Premises No. 7/99, admeasuring 5017.03 Sq.Mtr. total admeasuring 9633.46 Sq. Mtr. Tilak Nagar Kanpur built over part of free hold plot Nos. 11, 11-A, 12 and 13 situated at Scheme 3A, Khajasi Lines, Kanpur Nagar, bounded as under:-

East : Premises No. 7/97 Tilak Nagar Kanpur

West : RCC Road and thereafter Apartment

North : Lane to Abhinash Gyan Neer Thereafter Bungalows

South : 23.43 Mtr. wide Road

10/10/2019

SCHEDULE OF PAYMENT OF SALE CONSIDERATION OF RS.80,00,00,000/- (RUPEES EIGHTY CRORES ONLY)

Rs. 10,57,01,250/- Received Rupees Ten Crore Fifty Seven

Lacs One Thousand Two Hundred Fifty

Only vide RTGS No. SBINR

52020101300034319 dated 13.10.2020

State Bank of India

Rs. 12,70,40,000/- Received Rupees Twelve Crore Seventy

Lacs Forty Thousand Only vide RTGS No.

BARBR5202010130095333 dated

13.10.2020 Bank of Baroda

Rs. 8,57,52,000/- Received Rupees Eight Crore Fifty Seven

Lacs Fifty Two Thousand Only vide RTGS

No: SBINR 52020101300086908 dated

13.10.2020 State Bank of India

Rs. 12,00,00,000/- Received Rupees (Twelve Crores Only)

vide Account payee Cheque bearing No.

000007 dt. 04/03/2021 drawn on Bank of

Baroda, Mall Road, Kanpur

*H. K. Chandra*

Rs. 12,00,00,000/- Received Rupees (Twelve Crores Only)  
vide Account payee Cheque bearing No.  
0000008 dt. 04/03/2021 drawn on Bank of  
Baroda, Mall Road, Kanpur

Rs. 12,00,00,000/- Received Rupees (Twelve Crores Only)  
vide Account payee Cheque bearing No.  
0000009 dt. 04/03/2021 drawn on Bank of  
Baroda, Mall Road, Kanpur

Rs. 11,55,06,750/- Received Rupees (Eleven Crores Fifty Five  
Lacs Six Thousand Seven Hundred and  
Fifty Only) vide Account payee Cheque  
bearing No. 000010 dt. 04/03/2021 drawn  
on Bank of Baroda, Mall Road, Kanpur

Rs. 60,01,000/- TDS Deducted

RS. 80,00,00,000/- RECEIVED RUPEES EIGHTY CRORES ONLY

IN WITNESS WHEREOF the all the parties of this sale  
deed with their respective free will without any force or coercion  
after due advice from their well wishers, has executed this deed  
by putting their signature on all the pages and by putting the

04/03/21

*Chetan Chandra*

impression of seal having writing in presence of two witnesses on the day, month and year first above mentioned.

WITNESSES



SIGNATURE OF VENDOR

For Shri Dwarikadheesh Temple Trust


*Trusted*

Trustee



*Shambhu Singh*

1. Shambhu Singh S/o Ram Singh  
R/o- Flat No. 1101, Tilumala Residency,  
7/17, Tilak Nagar, Kanpur - 208002  
Mob. No.- 9839033526  
Aadhar No.- 7565 4043 0737



SIGNATURE OF VENDOR  
FOR PALOMA REALTY LLP  
*Paloma Realty LLP*

Partner






2. Binod Kumar Yadav S/o, Late Chhotu Yadav  
R/o- 44, Bhawanji Nagar, Dahanu Sujapur, Kanpur-21  
Mob. No- 9836835876  
Aadhar No.- 2313 5544 7280

Drafted by me & typed in my office.

*Vivek Jain*  
(Vivek Jain), Advocate  
Mobil No. 9336117409



TOTAL AREA OF LAND: 11521.89 SQUARE METERS



A B A D 23.43 M. W I D E  
SITE PLAN

# भारत

श्रीरामायणम्

मुख्य नगर एवं गांव नियोजक  
नगर एवं गांव नियोजन विभाग, डी0प्र0  
विभिन्न खण्ड, गान्धीनगर  
नियोजक।

विषय:- कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के महासूचना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकों के सम्बन्ध में।

कृपया कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के महासूचना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकों के सम्बन्ध में दिनांक-11.10.2022 को आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं तत्पश्चात् शासन द्वारा निर्दिष्ट पत्र संख्या-2832/आठ-3-22-198 दिनांक-12.10.2022 के माध्यम से दिये गये निर्देशानुपालन में नगर नियोजकों की आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि निर्माणाधीन कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के चिन्हांकों का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 134वीं बोर्ड बैठक दिनांक-10.11.2020 के आईएस संख्या-131/अठे/01 पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड के निर्णयानुपालन में गठित समिति द्वारा कानपुर महासूचना-2031 के मानचित्र पर चिह्नित 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन का परीक्षण किया गया। वर्तमान में कानपुर नगर के अन्तर्गत मेट्रो रेल परियोजना के निम्नानुसार दो कोरीबोर स्वीकृत हैं:-

- आई0आई0डी0 से मोरीडील, फूलबाग चौक से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन होते हुए गीबस्ता तक।
  - चन्द्रशेखर प्रौद्योगिकी युनिवर्सिटी (सीएफ0ए0ए0ए0) से विजय नगर झौराहा, शास्त्री चौक होते हुए वर्ड-6 तक।
- ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन को स्वतंत्र स्थिति के अनुसार टर्मिनल स्टेशन एवं इण्टरमीडिएट स्टेशनों पर टीओडी0 जोन की के आधार पर चिह्नित किया गया है। नीति के अनुसार टर्मिनल स्टेशन एवं इण्टरमीडिएट स्टेशनों के आस-पास का काफी बड़ा क्षेत्र चौड़ाई स्थानीय स्थिति के अनुसार अक्षांश 500 मी0 से अधिक रखी गई है, क्योंकि स्टेशनों के आस-पास का काफी बड़ा क्षेत्र मेट्रो रेल कोरीबोर के लक्ष्य से प्रभावित/आक्रांत होता है। मेट्रो रेल लाईन कोरीबोर के सापेक्ष 500 मी0 चौड़ा प्रभावित क्षेत्र प्रदर्शित किये जाने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु प्रभावित क्षेत्र की सीमा को सौलिक नॉन्ड्राईज यथा सड़क आदि के आधार पर चिह्नित किया गया है। उक्त परियोजना से प्रभावित क्षेत्र को 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के रूप में कानपुर महासूचना-2024 के मानचित्र पर चिन्हांकित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में गठित समिति की 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के चिन्हांकों के सम्बन्ध में की गई संस्कृति को प्राधिकरण बोर्ड की 132वीं बोर्ड बैठक दिनांक-26.03.2021 में बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

सर्वसाधारण को 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के चिन्हांकों का अपलोडन कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान के दिनांक-08.04.2021 के संस्करणों में सर्वजनिक सूचना प्रकाशित कराकर उक्त या प्रसार-प्रसार किया गया था, ताकि अधिक से अधिक भू-स्वामियों द्वारा उक्त नीति का लाभ प्राप्त किया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या-डी/30/उपा0/नॉन0/कावि0प्र0/2021-22 दिनांक-08.04.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।

टीओडी0 जोन के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने के लिए यूपी0एम0आर0सी0 को अधिकृत शिथे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक-30.09.2022 में प्रस्तुत किया जा चुका है। कानपुर मेट्रो रेल के संरक्षण के सापेक्ष दोनों ओर 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट' (टीओडी0) जोन के महासूचना-2031 (प्रारूप) पर चिन्हांकों सम्बन्धी मानचित्र की प्रति आपके ऑफिसियल ई-मेल आई0डी0 पर अपलोड की गयी है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

मन्त्रीय

(सचिव, राज्य)

सचिव

सूचनांक-बी/ / सचिव/नॉन0/कावि0प्र0/2022-23. दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

प्रमुख निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन, लखनऊ को टीओडी0 जोन का चिन्हांकों सम्बन्धी मानचित्र की प्रति उनकी ई-मेल-gadupingad@gmail.com पर प्रेषित।

सचिव

पत्रांक:- / द्विमंस्त्रिका/

कानपुर, दिनांक- 01/2023

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बन्ध में।

अधिशायी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर।

उपरोक्त विषयक श्री महेन्द्र चन्द्र जैन, पार्टनर मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी, 60/52, गंगागज कानपुर-208001 के पत्र दिनांक 08-09-2022 जो इस कार्यालय को डायरी संख्या-182, दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिये परिसर नम्बर 7/98 एवं 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रकरण निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता  
द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य,

कानपुर।

पत्रांक:- 182/द्विमंस्त्रिका/तदिनांक 06/01/2023

प्रतिलिपि श्री महेन्द्र चन्द्र जैन, पार्टनर मैसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी, 60/52, गंगागज, कानपुर-208001 को उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

  
अधीक्षण अभियन्ता

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य,

कानपुर।

श्रीमान् नक्शा अधीक्षक  
नक्शा विभाग  
नगर निगम, जोन-4,  
मोतीझील, कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए सिवाई विभाग, पर्यावरण विभाग एवम भारतीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए नगर निगम से सजरा/नक्शा माँगा गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत सजरा/नक्शा जारी करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित विभागों प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर सकें। आपकी महान दया होगी।

सादर निवेदित।

प्रार्थी  
महेश चन्द्र जैन

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

श्रीमान् नक्शा अधीक्षक  
नक्शा विभाग  
नगर निगम, जोन-4,  
मोतीझील, कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए सिचाई विभाग, पर्यावरण विभाग एवम भारतीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए नगर निगम से सजरा/नक्शा माँगा गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत सजरा/नक्शा जारी करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित विभागों प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर सकें। आपकी महान दया होगी।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

(गहेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
पर्यावरण विभाग, सद्भावना नगर,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साइट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535



प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
पर्यावरण विभाग, सद्भावना नगर,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साइट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

कानपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेन्ट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001  
मो0-9839030535

कानगपुर

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है। प्रार्थी को कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना है तथा प्रार्थी के उक्त प्रोजेक्ट में बेसमेन्ट बनना है जिसके लिए खनन विभाग से NOC अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को NOC उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)

मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001  
मो०-9839030535

शिचाई विभाग,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी का प्रगत एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.

मो0-9839030535

सेवा में,  
निदेशक,  
चकरी एयरपोर्ट,  
सिविल एरोड्रम,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज मुव्हाजसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) मॉंगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न शाईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सौदर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो 0-9839030535

दिनांक 08.09.2022

सेवा में,  
निदेशक,  
बकरी एगल्स,  
सिविल एंगल्स,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूजे ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैडिंग फी-डोल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 39ए खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

सेवा में,

अधिसाथी अभियन्ता-जोन-4,

~~जिल्हा अभियन्ता~~ नगर निगम कानपुर,

महोदय,

प्रार्थी द्वारा भेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) मांगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मांगचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

अवधि 01.04.2022 से

31.03.2023 तक जमा की रसीद

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर भेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,

60/52, नयागंज, कानपुर-208001.

मो 0-9839030535

सेवा में,

चीफ फायर आफिसर,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोग रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फ्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लार्डन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित रोलन साईट को मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोग रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो 9839030535



सेवा में,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो-9839030535

होदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम युप हाससिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग ग्री-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कांनपुर में निर्माण हेतु कांनपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कांनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सफल करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रमाणक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

महेश चन्द्र जैन

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कांनपुर-208001.  
मो0-9839030535

कानपुर।

होदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम गुण गुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग डी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

सेवा में,  
अधिशायी अभियन्ता-जोन-4,  
जल संस्थान, नगर निगम कानपुर,

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवं युज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैडिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खेलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईल के मागचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

अवधि 01.04.2022 से

31.03.2023 तक जमा की रसीद

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.

मो०-9839030535

सेवा में,

संरक्षण सहायक,  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,  
उप मंडल, कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम युज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नंबर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साइट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नरगंज, कानपुर-208001.  
मो10-9839030535

दिनांक 08.09.2022

सेवा में,

जिला वन अधिकारी  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोगा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज गुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपके विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) मांगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के भूतचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

आदर, निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

गोपबन्धु जैन

(गोपबन्धु जैन)

पार्टनर मेसर्स पलोगा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535



Kanpur Development Authority  
Uttar Pradesh

File No. : KDA/BP/22-23/0182

Letter No. : KDA/BP/22-23/0182/NOC

Dated : 13 May 2022

To,

Nodal Officer

1) Fire NOC. **CFO, KANPUR**

2) Fire NOC.

3) Fire NOC.

4) Fire NOC.

5) UP Pollution Control Board NOC.

6) UP Pollution Control Board NOC.

7) UP Pollution Control Board NOC.

8) UP Pollution Control Board NOC.

9) NOC from property Section.

10) NOC from property Section.

11) NOC from property Section.

12) NOC from property Section.

Subject:

No Objection Certificate (NOC) required for Nature of Construction/ Case Type New, Plot sub use Group Housing on Plot No. PLOT NO. 11, 11-A, 12 AND 13 Address PLOT NO. 11, 11-A, 12 AND 13, KHALASI LINE III A, Kanpur, NA, Kanpur owned by MS PALOMA REALTY LLP.

Sir/Madam,

On Plot No. PLOT NO. 11, 11-A, 12 AND 13 Address PREMISES NO. 7/98 AND PREMISES NO. 7/99 STANDING ON PART OF FREE HOLD PLOT NOS. 11, 11-A, 12, AND 13, SCHEME NO. 3A TILAK NAGAR, KHALASI LINE, KANPUR NAGAR, MS PALOMA REALTY LLP had submitted a map for Nature of Construction/ Case Type New, Plot sub use Group Housing for which we seek No Objection Certificate from your department.

Kindly go through the map of respective site and provide the No Objection Certificate / Objection within 15 days from the letter issuance date so that the case could be disposed at our end.

A/E/T.O.

सुप्रीम अनामसि / परीक्षण हेतु

अप्रस्तावित है

हस्ताक्षर

Thanks,

**Site Address:**

PREMISES NO. 7/98 AND PREMISES NO. 7/99 STANDING ON PART OF FREE HOLD  
PLOT NOS. 11, 11-A, 12, AND 13, SCHEME NO. 3A TILAK NAGAR, KHALASI LINE,  
KANPUR NAGAR

**Enclosed: Proposed Map**

**CC To :**

- 1) MS PALOMA REALTY LLP
- 2) ARUN KUMAR
- 3) Vice Chairman



दिनांक 08.09.2022

सेवा में,  
जिला वन अधिकारी  
कानपुर।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाइशिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैंडिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा आपकी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (पत्र संलग्न) माँगी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित संलग्न साईट के मानचित्र के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कानपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध करायी जा सके एवम प्रार्थी प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा प्राप्त कर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करा सके।

सादर निवेदित।

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रियल्टी एलएलपी,  
60/52, नयागंज, कानपुर-208001.  
मो 0-9839030535